

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन
निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

राजस्थान के 6-जयपुर ग्रामीण संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से
लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि –

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, सी-26 वैशाली मार्ग – वैशाली नगर जयपुर 302012
[जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए।]

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : जयपुर

दिनांक : 23.05.2019

४०
(इकबाल खान)
स्टार्टिंग अफिसर
(इकबाल खान)
६ -जयपुर ग्रामीण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
(अन्तिमिक्त विला कर्नल राठौड़ वैशाली नगर क्षेत्रिक
(आतिरिक्त सुनिश्चित प्रभाग) जिला प्रमुख क्षेत्र,
(प्रदेश) जयपुर

FORM 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of
the Representation of the People Act, 1951.

Election to the House of the People from the 6-Jaipur
Rural Parliamentary Constituency in
Rajasthan.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of
the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of
the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that –

COL. RAJYAVARDHAN RATHORE

C-26 VAISHALI MARG - VAISHALI NAGAR JAIPUR - 302012
[sponsored by BHARATIYA JANATA PARTY] has been duly
elected to fill the seat in that House from the above
constituency.

Place : Jaipur

Date : 23-05-2019

[Signature]
(MOBAL KHAN)
MOBAL KHAN
RETURNING OFFICER
RETRNNG OFFICER
S-JAIPUR RURAL PARLIAMENTARY
PARLIAMENTARY CONSTITUENCY
(ADDITIONAL DISTRICT COLLECTOR &
(AUDITOR OF GOVT. EXPENSES)
ADDITIONAL DISTRICT MAGISTERATE (1ST)
(JAIPUR)
(ADDITIONAL DISTRICT MAGISTERATE (1ST)
(JAIPUR)